



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ 165()लेब/पंरावि/कोषालय से भुगतान/2014-15

19020-30

जयपुर, दिनांक:-

29-09-2016

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-समस्त।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति-समस्त।

विषय:- पंचायती राज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालय के माध्यम से किये जाने के संबंध में संवेतन मद अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में दिनांक 01.10.2016 को सितम्बर, 2016 देय अक्टूबर, 2016 के वेतन आहरण के पश्चात अवशेष राशि की सूचना भिजवाये जाने बाबत।

संदर्भ:- शासन सचिव, वित्त (बजट) का परिपत्र क्रमांक एफ (थ-75) डीटीए/आईएफएमएस/पीआरआई/7404-8003 दिनांक 14.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 230 की अनुपालना में पंचायती राज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालय के माध्यम से दिनांक 01.11.2016 (माह अक्टूबर 2016 पेड नवम्बर 2016) से आहरित कर भुगतान किया जावेगा, जिसके क्रम में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खाते में दिनांक 01.10.2016 को सितम्बर 2016 देय अक्टूबर 2016 के वेतन आहरण के पश्चात अवशेष राशि की सूचना दिनांक 10.10.2016 तक आवश्यक रूप से जिला परिषद कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय द्वारा निम्न प्रारूप में पंचायती राज मुख्यालय एवं कोषालय/उप कोषालय को उपलब्ध कराई जानी सुनिश्चित करावे:-

क्र. सं.	दिनांक 01.04.16 को बजट मद 2515 संवेतन मद अन्तर्गत अवशेष राशि	दिनांक 01.04.2016 से सित. 2016 तक बजट मद 2515 संवेतन मद अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में संवेतन मद अन्तर्गत मुख्यालय द्वारा कुल आवंटित राशि (2+3)	दिनांक 01.04.16 से सित. 2016 पेड अक्टू. 2016 तक वेतन पर कुल व्यय राशि	दिनांक 01.10.2016 को बजट मद 2515 संवेतन मद अन्तर्गत अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

भवदीय,


(राधेश्याम शीना)

वित्तीय सलाहकार